## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

## Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 07May, 2018

G.S.R(E) In exercise of the powers conferred by sections
149 and 168 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of
2013), the Central Government hereby makes the following rules further
to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors)
Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, rule 5 shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(2) None of the relatives of an independent director, for the purposes of sub-clauses (ii) and (iii) of clause (d) of sub-section (6) of section 149,-
  - (i) is indebted to the company, its holding, subsidiary or associate company or their promoters, or directors; or
  - (ii) has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company, its holding, subsidiary or associate company or their promoters, or directors of such holding company,

for an amount of fifty lakhs rupees, at any time during the two immediately preceding financial years or during the current financial year."

3. In the principal rules, in rule 16, for the word "shall", the word "may" shall be substituted.

[F. No. 1/22/2013-CL.V-Part-III]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

**Note:**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial	Notification Number	Notification Date
Number		
1.	G.S.R. 671(E)	18 <sup>th</sup> September, 2014
2.	G.S.R. 42(E)	19th January, 2015
3.	G.S.R. 839(E)	5 <sup>th</sup> July, 2017
4.	G.S.R. 51 (E)	22 <sup>nd</sup> January, 2018.

## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 👌 मई, 2018

सा.का.िन. \_\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 और धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में, नियम 5 को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित किए गए उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
  - "(2) किसी स्वतंत्र निदेशक का कोई भी नातेदार, धारा 149 की उपधारा (6) के खंड (घ) के उपखंड (ii) और (iii) के प्रयोजनों के लिए, ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर पचास लाख रुपए के लिए,-
  - (i) कंपनी, इसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों का ऋणी न हो; या
  - (ii) उसने कंपनी, इसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी या ऐसी नियंत्री कंपनी के संप्रवर्तकों या निदेशकों पर किसी तीसरे व्यक्ति के ऋणग्रस्तता के संबंध में गारंटी न दी हो या कोई प्रतिभूति उपलब्ध न कराई हो।"।

3. मूल नियमों के नियम 16 में, "होगा" शब्द के लिए, "सकेगा" शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं.1/22/2013-सीएल-V-पार्ट-III]

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:

क्रम	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की
संख्या		तारीख
1.	सा.का.नि.671(अ)	18 सितंबर, 2014
2.	सा.का.नि.42(अ)	19 जनवरी, 2015
3.	सा.का.नि.839(अ)	05 जुलाई, 2017
4.	सा.का.नि.51(अ)	22 जनवरी, 2018